512400248

CABINET SECRETARY

सं०सं० : 6/एस–16 (वि०क०)–01/2009............/

0001/00

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

राँची/दिनांक..................

विषय : केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को छठे केन्द्रीय-वेतनमान में माह फरवरी से माह जून, 2006 के बीच देय वार्षिक वेतनवृद्धि वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के संबंध में।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के लिये स्वीकृत पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान की भाँति राज्यकर्मियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 द्वारा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू किया गया है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/02/2011-E-III/A, दिनांक 19.03.2012 द्वारा सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (आर०पी०) रूल्स, 2008 [CCS (RP) Rules, 2008] के नियम 10 को शिथिल करते हुए वैसे केन्द्रीय कर्मियों, जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि फरवरी से जून, 2006 के बीच देय है, को दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि एकवारीय सुविधा के रूप में अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है तथा पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2006 को अनुमान्य होगी। केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य कर्मियों को यह सुविधा अनुमान्य करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत वैसे कर्मियों, जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि फरवरी से जून, 2006 के बीच देय है, को दिनांक 01.01.2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि एकवारीय सुविधा के रूप में अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है तथा आच्छादित कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी।

4. उक्त निर्णय के अनुसार उपरोक्त अवधि के अन्दर आनेवाले सरकारी कर्मियों का वेतन पुनर्निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि०, दिनांक 28.02.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा उसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

CABINET ... 0002/0002

ज्ञापांक-6/एस-16 (कि०क०)-01/2009............/ रांची, दिनांक......................
प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके राजपत्र की 100 प्रतियाँ वित्त प्रशाखा-6ए को उपलब्ध करायें।

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 6/एस-16 (कि०क०)-01/2009............/ रांची, दिनांक......................
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 6/एस-16 (कि०क०)-01/2009............/ रांची, दिनांक......................
प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 6/एस-16 (कि०क०)-01/2009 1185/वि० रांची, दिनांक 02-06-2012
प्रतिलिपि : वित्त विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक स्वा०नि०(स्व)/लेखा 45/2012/1308(26) रांची, दिनांक 06/6/2012
प्रतिलिपि:- सभी निदेशक, उप निदेशक, अपर निदेशक, स्वा० से० झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, धनबाद/ प्राचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, रामकृष्ण/ इटकी आरोग्यशाला, इटकी/सभी निदेशक, रिनपास/रिम्स/सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि, तत्सम्बन्धित सूचना अपने अधीनस्थ संस्थानों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड